रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHEDBYAUTHORITY

सं. 912] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2014/वैशाख 1, 1936
No. 912] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2014/VAISAKHA 1, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली ,21 अप्रैल2014 ,

का.आ.1107–.(अ)दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुश्री वीणा बीरबल की अध्यक्षता में गठित अधिकरण ,अधिनियम (निवारण) जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ,1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-(एन एल एफ टी) नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा :निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि त्रिपुरा के संगमों नामत तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के ,एतद्वारा , कारण हैं या नहींको विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त (ए टी टी एफ) दिनांक 27.03.2014 के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ,अधिनियम (निवारण)1967 की धारा 4(4) के अनुसार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

माननीय न्यायाधीश सुश्री वीणा बीरबल
क्षता वाले विधिविरुद्ध क्रिकी अध्ययाकलाप अधिकरण (निवारण)
के समक्ष

भारत सरकार द्वारा इसकी दिनांक 29.10. .आ .का .की अधिसूचना सं 20133274 के तहत गठित अधिकरण की (अ) रिपोर्ट

के संदर्भ में : **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एन एल एफ) टी (ए टी टी एफ) एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एसोसिएशन**

1. एवं (कहा गया है 'एन एल एफ टी' जिसे इसमें इसके बाद) य सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुराकेन्द्री और साथ ही उनके (कहा गया है 'ए टी टी एफ' जिसे इसमें इसके बाद) ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एसोसिएशनगुटोंविंगों , ,अधिनियम (निवारण) एवं अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप1967)1967 का 37) की धारा धारा-की उप 3)13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक (.10. .आ .का .की अधिसूचना सं 20132990 के तहत (अ)

विधिविरुद्ध संगम घोषित किया । भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित दिनांक , 3.10.-:नुसार पठित हैकी अधिसूचना निम्ना 2013

गृह मंत्रालय"
अधिसूचना

नई दिल्ली ,बरअक्तू 3 ,2013

का .आ.2990 .(अ)– यतजिसे इसमें इ) विंगोंनेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा उसके विभिन्न :सके पश्चात एन एल एफ टी कहा गया है (त ए टी टी एफ कहा गया हैजिसे इसमें इसके पश्चा) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (संघर्ष के जरिए त्रिपुरा को भारत अलगाववादी संगठनों के सहयोग से और सशस्त्र सशस्त्र त्रिपुरा के अन्यका घोषित उद्देश्य से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है;

2. :और यत, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पूर्वोत्तर का घोषित उद्देश्य (जिसे यहां इसके बाद ए टी टी एफ कहा गया है) , पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर त्रिपुरा सशस्त्रक्षेत्र के अन्यअसममेघालय एवं ,नागालैंड ,मिजोरम ,मणिपुर , को पृथक करने बनाना है और भारत से इन राज्यों का एक पृथक राष्ट्रर राज्योंअरुणाचल प्रदेश को मिलाकर बने सात सिस्ट संघर्ष चलाना तथा उसके द्वारा भारत से इन राके लिए सशस्त्रज्यों को पृथक करना है।

3. केन्द :और यत्र सरकार का मत है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ –

(i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है और लोगों में डर एवं आतंक फैलाया है;

(ii) पूर्वोत्तर के अन्य विधिविरुद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए हैं;

(iii) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं।

4. :और यत, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उनकी हिंसक एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं -:

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करना;

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन वसूली;

(ग) सुरक्षित आश्रयके प्रयोजन के लिए पड़ोसी देशों में एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्तिशस्त्र ,प्रशिक्षण , ;पित करना तथा उनका रखरखाव रखनाशिविर स्था

(घ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैरदायिक संघर्ष उतजनजातीय समुदायों के बीच साम्प्र-्पन्न करना एवं उसमें वृद्धि करना।

5. :और यत, केन्द्र सरकार का यह मत है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरनाक हैं तथा वे विधिविरुद्ध संगम हैं;

:और यत, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ पर तत्काल प्रतिबंध एवं नियंत्रण न लगाया गया तो इन संगठनों को निम्नलिखित कार्यों को करने का अवसर मिल जाएगा -:

(i) अलगाववादी, विद्रोही एवं हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काडरों को लामबंद करना;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्र की अखंडता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;

(iii) नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर-कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

(v) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से जबरन धन वसूली तथा बड़ी राशि इकट्ठी करना।

अत:, अब ,अधिनियम (निवारण) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ,1967)1967 का 37) की धारा) धारा-की उप 31के तहत (प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतकेन्द्र ,दद्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को (एन एल एफ टी) ,को इसके सभी गुटों (ए टी टी एफ) शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ,इसके सभी गुटों ;शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है

उपर्युक्त स्थितियों के मद्देनजरविंगों , सरकार की यह राय है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को इसके सभी गुटोंकेन्द्र , विधिविरुद्ध ,और तदनुसार ;क हैल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्य संगठनों के साथ तत्कातथा मुख्य ,अधिनियम (निवारण) क्रियाकलाप19 67(37 का 1967) की धारा) धारा-की उप 33क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का के परन्तु (सरकार एतकेन्द्र ,प्रयोग करते हुएदद्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा के अंतर्गत किए 4 शासकीय राजपत्र में इसके ,धीनजाने वाले किसी भी आदेश के अध्य प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा .सं .11011/43/2013.एन ई-V]

शम्भू सिंह'' सचिवसंयुक्त ,

2. ,अधिनियम (निवारण) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप1967 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएयनिर्णय करने के प्रयोजन से कय सरकार ने यह न्याकेन्द्री ,ि क्या एन एल एफ टी और ए टी टी एफ संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं29 दिनांक ,.10. .आ .का .की अधिसूचना सं 20133274 क्षरीअधिकरण गठित किया और अधोहस्ता (निवारण) के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (अ)को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया।

3. 4 भारत सरकार से दिनांक ,गृह मंत्रालय.11. ,रनवम्ब 20 दिनांक , होने के बादके पत्र के तहत संदर्भ प्राप्त 2013 2013 को प्रारंभिक सुनवाई हुई और उक्त तारीख को एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को नोटिस जारी किए जाने का निदेश दिया गया था जिनमें ऐसे नोटिस तामील करने की तारीख से दिनों के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा गया 30 पन या जहां संगमों के प्रतिष्ठा , संगमों को उन पतों पर नहीं घोषित किया जाए। उपर्युक्तथा कि उनको विधिविरुद्ध क्यों , एवं उसके बाहर ज्ञात हैउनकी मौजूदगी त्रिपुरा राज्यप्रकाशित स्थानीय समाचारपत्रों में और इलेक्ट्रानिक मीडिया संगमों पते पर नोटिस देकर और उक्तमें प्रकाशन द्वारा उपलब्ध (की सरकारी वेबसाइटदूरदर्शन एवं त्रिपुरा राज्य ,रेडियो) संगमों क ,नों पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तथा जहां संभव होपूर्ण स्थाके महत्व ,यदि कोई हो ,के कार्यालये प्रधान पदाधिकारियों को उनके पते पर पंजीकृत डाक ,यदि कोई हों ,द्वारा या अन्यथा ऐसे नोटिस की प्रति भेजकर नोटिस तामील किए जाने का निदेश दिया गया था। त्रिपुरा राज्य के लिए वकीलस के अनुरोध पर नोटिस को दो श्री रितुराज बिश्वा , दैनिक'' पत्रों-नीय समाचारस्थादेशर कथामें प्रकाशित किए जाने का निदेश दिया गया था। इसके ''दैनिक संबाद'' और '' ,में ,तया चलाए जाते हैं संगमों के क्रियाकलाप सामान्ययह भी निदेश दिया गया था कि ऐसे क्षेत्रों जहां उक्त ,अतिरिक्त एवं राजपत्र की अधिसूचना के बारे में ड्रमवस्तु-नोटिस की विषय बजाकर एवं लाउडस्पीकरों द्वारा उदघोषणा की जाए। नोटिसों को जिला या तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के तहसीलदार के कार्यालय एवं उपायुक्त/ नों पर चिपकाए जाने का भी निदेश दिया गया था।नोटिस बोर्ड पर और यथा संभव बाजार के स्था

4. सुनवाई की अगली तारीख यानी दिनांक 6.1.(।। .ई.एन) उप सचिव ,श्रीधरन .श्री जी ,को 2014, गृह मंत्रालय , 20 ने इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया था कि अधिकरण के दिनांकनई दिल्ली ,भारत सरकार.11.के आदेश 2013 य सरकार ने त्रिपुरा सरकार से अनुरोधकेन्द्री ,के अनुपालन में किया है कि वह उपर्युक्त आदेश के अनुसार सभी माध्यमों द्वारा एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को अधिकरण द्वारा यथा आदेशित नोटिस तामील करे। हलफनामे में तामीली को प्रभावी बनाने में त्रिपुरा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया गया है।

5. 6 दिनांक.1. ने भी एक हलफनामा दायर किया रेजिडेंट आयुक्त के मुख्यत्रिपुरा राज्य ,वैश्य .के.श्री आर ,को 2014 ने दो संगठनों अर्थात् एन एल एफ टी एवं त्रिपुरा राज्य ,था जिसमें यह कहा गया है कि अधिकरण के आदेश के अनुपालन में ए टी टी एफ को नोटिस तामील किया है। त्रिपुरा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के ब्यौरे का उल्लेख उसमें किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि अधिकरण द्वारा जारी नोटिसों को अधिकरण द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। बांग्ला में प्रेस रिलीज की एक प्रति और दिनांक 01.01. और दिनांक ''दैनिक देशर कथा'' के 2013 02.12. की गई थीं। नामक समाचारपत्रों की कतरनों की प्रतियां भी हलफनामे के साथ संलग्न ''दैनिक संबाद'' के 2013 दो और समाचारपत्रोंख किया गया है कि ये नोटिस दैनिक संबाद एवं दैनिक देशर कथा के अतिरिक्तहलफनामे में यह उल्ले अर्थात् दिनांक 01.12.1 के आजकल और 2013.12. जिलों न पत्रिका में भी प्रकाशित किए गए थे। विभिन्नन्दके स्य 2013 ख किया की गईं थीं। यह भी उल्लेके प्रशासन द्वारा भेजी गई तामीली रिपोर्ट की सत्य प्रतियां भी हलफनामे के साथ संलग्न जाता है कि संगठनों के पदाधिकारियों को या उनके संबंधित कार्यालयों को सीधे नोटिस तामील नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसे कार्यालयों या पदाधिकारियों का अवस्थान ज्ञात नहीं बताया गया है।

6. रिकार्ड पर दिए गए तामीली के हलफनामे से पता चलता है कि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को जारी नोटिस यथा आदेशित तरीके से विधिवत रूप से तामील नहीं किए गए थे। तामीली के बावजूद एन एल एफ टी एवं ए टी

टी एफ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तदनुसार के आधार वेज़ों सहित साक्ष्यदस्ता , सरकारों कोय और राज्यकेन्द्री , पत्र दायर करने का निदेश पारित किया गया।-अपने शपथ-पर अपने

7. ,फरवरी 3 दिनांक2014 को निम्नलिखित मामला तैयार किया गया :

"कि क्या नेशनल लिब्रेशन फ्रंट को विधिविरूद्ध (ए टी टी एफ) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एन एल एफ टी) " कारण हैं या नहीं।संगम घोषित करने के पर्याप्त

8. एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के अपने दावे के समर्थन मेंय सरकार केन्द्री , 22 ने दिनांक.2.28 ने भी दिनांकतथा त्रिपुरा राज्य 2014.2. ,त् यह मामलाश्चात किया। तत्पपत्र प्रस्तु-का शपथ 2014 ,मार्च 4 और 3 दिनांक2014 को अगरतलात्र ,िपुरा राज्य में साक्ष्य की रिकार्डिंग हेतु सूचीबद्ध किया गया।

9. जिसके ,ख किया हैभूमि का उल्लेदोनों ने उस पृष्ठ ,पत्रों में- द्वारा दायर शपथय सरकार और त्रिपुरा राज्यकेन्द्री तहत एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को अधिनियम के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी।

10. दिनांक 22.2. ने नई दिल्ली ,गृह मंत्रालय ,भारत सरकार ,उप सचिव ,श्रीधरन .पत्र में श्री जी-के शपथ 2014 ,अप्रैल 3 दिनांक ,ख किया है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ आरंभ मेंउल्ले1997 से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप- ,अधिनियम (निवारण)1967 के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किए गए थे और तब से इस अधिनियम के अंतर्गत एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरूद्ध संगम घोषित करने की अवधि को समयसमय पर बढ़ाया जाता रहा है। - 3 विंगों को दिनांक/वर्तमान में इन दोनों संगठनों और इनके सभी गुटों.10. .की अधिसूचना सं 20132990के तहत (अ) दिन◌ांक ,बरअक्तू 22018 तक ख किया जाता है कि एन एल एफ घोषित किया गया है। यह भी उल्ले 'विधिविरुद्ध संगम' ,टी का गठन जून1989 में हुआ था। तत्पश्चात् फरवरी ,2001 में नयनबासी जमातिया नेके नाम से (एन) एन एल एफ टी , 17 एक नया समूह बना लिया था। दिनांक.12.को ए 2004न एल एफ टी क्षर किए ज्ञापन पर हस्ता-के साथ समझौता (एन) मोहन देबबर्मा के नेतृत्वविश्व ,धारा में शामिल हो गए थे। तथापिके काडर मुख्य (एन) जिसके बाद एन एल एफ टी ,गए थे में ससाथ हिंसक कृत्यों- बातों के साथअन्य ,में एन एल एफ टी के शेष काडरों में से अधिकांश◌ंलिप्त रहे। एन एल एफ टी के इस गुट को मुख्य तौर पर एन एल एफ टी में ए टी टी एफ का भी 1993 त् वर्षश्चाके नाम से जाना जाता है। तत्प (बी) लक्ष्यो ,पत्र में एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के उद्देश्यों- श्री रंजीत देबबर्मा कर रहा है। शपथगठन हुआ जिसका नेतृत्व◌ं और क्रियाकलापों का उल्लेख है। शपथ रा भी दिया गया है। संगठनों द्वारा की गईं हिंसक वारदातों का ब्यौपत्र में उपर्युक्त-

11. - सरकार के लिए और उनकी ओर से शपथत्रिपुरा सरकार ने भी त्रिपुरा राज्य , आयुक्तसंयुक्त ,नंदी .के .श्री एस त किया और इपत्र प्रस्तुसके साथ एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के संविधान ,कर संबंधी नोटिस/जबरन धन वसूली , विगत दो वर्ष की अवधि के दौरान ,रे के ब्यौयास्त्रोंउनकी ताकत और आग्ने ,देश में स्थित उग्रवादी शिविरों की सूचीबांग्ला ,उग्रवाद से संबंधित मामलों के आंकड़ों को दर्शाने वाला चार्ट इन संगठनों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज एफ आई आर की प्रतियां और गिरफ्तारसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की पूछताछ संबंधी रिपोर्टों आत्म/ कीं।की सही प्रतियां संलग्न

12. संयुक् ,नंदी .के.श्री एस ,पत्रों पर- शपथउपर्युक्तत रेजीडेंट आयुक्तउप ,श्रीधरन . तथा श्री जीत्रिपुरा राज्य , रपूर्वक चर्चा की जाएगी। पर विचार करते समय विस्तागृह मंत्रालय के साक्ष्य ,भारत सरकार ,सचिव

13. ,मार्च 3 अधिकरण की बैठक दिनांक2014 और ,मार्च 42014 को अगरतला में हुई नेजिसमें त्रिपुरा राज्य , घोषणा के समर्थन में -:नुसार हैंत गवाह निम्नात किए। प्रस्तुगवाह प्रस्तु 12

1. -पी डब्ल्यू ,अगरतला ,त्रिपुरा सरकार ,गृह विभाग ,अवर सचिव ,श्री अरुप देब1

2. -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,विशेष शाखा ,पुलिस अधीक्षक ,श्री उत्तम कुमार मजुमदार2

3. नश्री नित्या◌ंद सरकार-पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,पुलिस थाना लेफुंगा ,पुलिस निरीक्षक ,3

4. -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,पुलिस थाना मोहनपुर ,पुलिस निरीक्षक ,श्री मनोरंजन देबबर्मा4

5. ,त्रिपुरा ,कंचनपुर पुलिस थाने के अधीन लालजुरी आउट पोस्ट ,निरीक्षक-पुलिस उप ,श्री साहदेब भौमिक पी डब्ल्यू-5

6. ,पुलिस निरीक्षक , रियांगश्री परेन्द्र(सी एस(, धलाई-पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा में क्राइम रीडर के रूप में ,साअम्बा ,6

7. -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,धलाई ,पुलिस थाना कमालपुर ,उप निरीक्षक ,श्री पारितोष दास

8. ,उप निरीक्षक ,श्री संजीत देबबर्मागारजी आउट पोस्ट के प्रभारी अधिकारी-पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,गोमती जिला ,8

9. ,गोमती :जिला ,पुलिस थाना कारबुक ,श्री पारा कुमार त्रिपुरा पुत्र श्री सबीधान त्रिपुरा निवासी महंता पारा -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा9

10. रुंग त्रिपुरा पुत्री श्री बृंदश्रीमती बाइक्याया त्रिपुरा निवासी माल्दापारा ,जिला धलाई ,गंडाचेरा-पुलिस थाना , -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा10

11. ,पुलिस थाना गंडाचेरा ,वर्ष पुत्र श्री गहन कुमार त्रिपुरा निवासी भागीरथ पारा 31 श्री प्रधानजाय त्रिपुरा उम्र -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,धलाई–जिला11

12. श्री शुभ कांति त्रिपुरा उम्र जिला ,बत्रीपुलिस थाना रस्या ,वर्ष पुत्र श्री आनंद त्रिपुरा निवासी पूर्बा सिंह पारा 42 -पी डब्ल्यू ,त्रिपुरा ,धलाई12

14. नई ,त्रिपुरा भवन ,त्रिपुरा सरकार , रेजीडेंट आयुक्तसंयुक्त .नंदी .के .अधिकरण की सुनवाई के दौरान श्री एस पी ,दिल्ली डब्ल्यू-13 और श्री जी-पी डब्ल्यू ,नई दिल्ली ,भारत सरकार ,गृह मंत्रालय ,उप सचिव ,श्रीधरन .14 के साक्ष्य भी रिकार्ड किए गए।

15. -पी डब्ल्यू1 ,मार्च 1 त्रिपुरा सरकार ने अपना दिनांक ,गृह विभाग ,अवर सचिव ,श्री अरुप देब ,2014 का शपथ- -जिसे प्रदर्श ,त कियापत्र प्रस्तु1 के रूप प्रदर्शित किया गया था। नोटिस की तामीली को सिद्ध करने के लिए नेउन्हों ,(i) विभिन्न जिलों के प्रशासनों द्वारा भेजे गए नोटिस की तामीली की पुष्टि करने संबंधी पत्र- पीएक्स ,1 -डब्ल्यू/(कॉली)1 ,(ii) पांच स्थानीय समाचारपत्रों अर्थात "डेली देशेर कथा", "दैनिक", "संवाद", में "नदेन पत्रिकास्या" और "आजकल पत्रिका" - पीएक्स ,प्रकाशित प्रेस की कतरनों और नोटिसों की प्रतियां2 -डब्ल्यू/(कॉली)1समाचारपत्रों और मीडिया में नोटिसों के , 11 प्रकाशन और प्रसारण की पुष्टि से संबंधित दिनांक.12.- पीएक्स ,के पत्र की प्रति 20133-डब्ल्यू/1 दिनांक , 12.12.- पीएक्स ,के पत्र की प्रति 20134-डब्ल्यू/106 दिनांक ,.12. में उनकी जिसमें राज्य ,की अधिसूचना 2013 पु 25 केगतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए राज्यलिस थानों के समूचे क्षेत्र तथा -एक्स पी ,की प्रति ,पुलिस थानों के कुछ भाग को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था 76-डब्ल्यू/1 प्रस्तुत की।

16. ने बयान दिया कि एन एल एफ टी और ए टमें उन्हों 1 त एक्स पी के तौर पर प्रस्तुपत्र में साक्ष्य-अपने शपथी टी एफ और उसके गुट में हिंसक अलगाववादी हैं ओर वे राज्य और उद्देश्य के भीतर सक्रिय हैं। उनके लक्ष्यविंग त्रिपुरा राज्य/ हथियारों और ,पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों पर हमला , हैं। इन संगठनों की गतिविधियों मेंक्रियाकलापों में संलिप्त आ ,गोलाबारूदों को लूटनाम नागरिकों के खिलाफ़ हिंसाअपहरण और जबरन धन , वसूली शामिल हैं। वे अवैध माध्यमों से हथियारों और गोलाबारूद की खरीद करते हैं और उनका इस्तेमाल शांति और सदभावना को भंग करने तथा भारत के संविधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को विनष्ट करने के लिए करते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ,अधिनियम (निवारण)1967 के उपबंध पहली बार भारत सरकार द्वारा वर्ष में लागू किए गए। तब से 1997 ये दोनों संगठन अपनी अलगाववादी और हिंसक गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और इन पर लगा प्रतिबंध जारी रहा है। ख किया कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के संविधानों में भारतीय संघ से अलग होने पत्र में यह भी उल्ले-ने शपथउन्हों ख है। का उल्लेऔर उनके उद्देश्यों

17. -पी डब्ल्यू2 श्री उत्तम कुमार मजुमदार-प्रदर्श पी ,त्रिपुरा ने साक्ष्य ,विशेष शाखा ,पुलिस अधीक्षक ,2 के रूप में दायर दिनांक 01.03.के शपथ 2014-पत्र की विषय ने को प्रमाणित किया। उन्होंवस्तु-(i) प्रदर्श ए-1-डब्ल्यू/2नेशनल , लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संविधान (ii) ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ), प्रदर्श ए-2-डब्ल्यू/2 के संविधान को रिकॉर्ड में रखा है (iii) प्रदर्श ए-3-डब्ल्यू/2 एन एल एफ टी द्वारा जारी की गई ,परिपत्र की प्रति है 1 कर परिपत्रों में से 47 -प्रदर्श ए4-डब्ल्यू/2 ब (कॉली)ाांग्लादेश में स्थित उग्रवादी शिविरों की अनुमानित नफरी और आग्नेय शक्ति की सूची है , -प्रदर्श ए5 -डब्ल्यू/(कॉली)2)कॉली को दर्शाने वाला एक चार्ट तथा एन एल एफ टी और ए टी उग्रवादी मामलों की संख्या (3 टी एफ वाले मामलों में.10.2 से 2011.10.क्तियों की तक की अवधि के दौरान अपहरण तथा अगुवा किए गए व्य 2013 सूची है।

18. ने समर्पण करने वाले ए टी टी एफ के उग्रवादी अर्थात्उन्हों चित्तादेव बर्मा ऊर्फ विकास कलौली अर्थात् प्रदर्श ए-7 -डब्ल्यू/(कॉली)2 की पूछताछ रिपोर्ट तथा अन्य उग्रवादियों की पूछताछ रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रदर्श ए-7 -डब्ल्यू/(कॉली) 2 को भी रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया है। उन्होंने श्री एस28 नंदी के दिनांक .के ..02. 286 से 274 पत्र के पृष्ठ-के शपथ 2014

9 पर प्रदर्श(कॉली-डब्ल्यू/(2 के रूप में पुलिस अधीक्षकविशेष शाखा के कार्यालय द्वारा तैयार की गई आसूचना रिपोर्ट की , सूची को भी प्रमाणित किया है।-विषय

19. उन्होंने अपने शपथ-पत्र प्रदर्श पी-2 में यह भी उल्लेख किया है कि इन दो प्रतिबंधित संगठनों के आत्मसमर्पणकर्ताओं से पूछताछ के आधार पर सुरक्षा बलों ने उनके प्रचालन ढांचेवित्तीय ,सीमा पार से उनके संबंधों , पूर्ण सय शक्ति आदि के बारे में महत्वआग्ने ,राशियों ूचना एकत्र की है और यह उभर कर सामने आया है कि ये संगठन अपने गुटों सहित इन क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और त्रिपुरा को भारतीय संघ से मुक्त करके स्वतंत्र की 'बोरोकलैंड त्रिपुरा' से वि को हासिल करने के उद्देश्य उद्देश्यष्टपना के अपने स्पस्थाध्वंसक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं जिससे देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचता है का विकास प्रभावित होता है तथा लोगों में दहशत पैदा होती है। और राज्यवस्थालोक व्य , ,रॉकेट लांचरों , दिया है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ ने बारूदी सुरंगोंउन्होंने यह भी साक्ष्य आर पी जी आदि जैसे घातक हथियारों का प्रापण किया है। विगत गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के दौरान इन दोनों संगठनों ने समारोहों का बहिष्कार किया और लोगों को इन समारोहों में शामिल होने से रोकने के लिए काले झंडे दिखाए।

20. -पी डब्ल्यू3 श्री नित्यानंद सरकार त्रिपुरा ने भी साक्ष्य ,पुलिस थाना लैफंगा ,प्रभारी अधिकारी ,पुलिस निरीक्षक , ,मार्च 1 के रूप में अपना दिनांक2014 का शपथ-त किया जिसे प्रदर्श पीपत्र प्रस्तु-3 के रूप में प्रदर्शित किया। उन्होंने यह साक्ष्य दिया कि वे रैश्याबाड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 457/385/506/ अधिनियम की तथा शस्त्र 34 27 धारा, सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति अधिनियम ,1960 की धारा 17 अधिनियम की धारा (पी) और यू एल ए 4/के 20 .अंतर्गत मामला सं14/2012 के जांच अधिकारी हैं।

21. उन्होंने शपथ-पत्र प्रदर्श पी-3 में उल्लेख किया है कि 21.09. अज्ञात सशस्त्र 06 को एन एल एफ टी ग्रुप के 2012 उग्रवादी रैश्याबाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत देशावाई पाडा में आए और त्रिपुरा के पंचायत सदस्य श्री कृष्णमोहन को जबरन धन वसूली के रहिमा और बोलखाली गांवों के गनोटिस दिए और उन्हें 24 ्रामवासियों में वितरित करने का निदेश दिया। उन्होंने उग्रवाद से समय पर अंशदान का भुगतान समूह द्वारा किसी कार्रवाई से बचने के लिए पंचायत सदस्य/ 22 सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। दिनांक.09. . एफ आई आर संकी उक्त 201214/2012 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए-8.1डब/ ल्यू-3 है। दिनांक 19.11.को एक दूसरी घटना में हथियारबंद एन एल एफ टी उग्रवादियों के गैंग ने 2012 पूरब ासिंह पाड़ार ,ैश्याबाड़ी जिला धलाई से श्री करंद्रा त्रिपुराचित्तारंजन त्रिपुरा तथा शुभाकुमार त्रिपुरा नामक तीन , 8-क्तियों का अपहरण कर लिया। प्रदर्श एव्य.2/डब्ल्यू-3 भारतीय दंड संहिता की धारा 458/364/ अधिनियम तथा शस्त्र 34 और 27 की धारा यू एल ए 17 अधिनियम की धारा (पी)/के अंतर्गत पुलिस थाना र 20ैश्याबाड़ी में दर्ज दिनांक 20.11.की एफ आई 2012 .आर सं20/2012 है। 22.7./को घटित एक दूसरी घटना में ई 201212 टी एस आर के सूबेदार बंकिमदेव बर्मा तथा टी 21 एस आर कार्मिक मझिमणि पाडा खेतों में थे और 12. बजे उन पर एन एल एफ टी उग्रवादियों के एक 30समूह ने परिष्कृत हथियारों से गोलीबारी की। उक्त घटना में सुरक्षा बलों द्वारा एक उग्रवादी बाहिजॉय त्रिपुरा को मार गिराया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 तथा यू एल ए पी की धारा 5/149/120-बी/353/307/384 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी/(क) (27 तथा ई10 तथा यू एल ए पी की धारा 5 अधिनियम की धारा .एस./के अंतर्गत र 13ैश्याबाड़ी पुलिस थाने में दर्ज उक्त मामले से संबंधित दर्ज दिनांक 22.7. .की एफ आई आर सं 20126/2012 प्रस्तुत की प्रदर्श ए) 8.3/डब्ल्यू-3 मामले से संबंधित। पुलिस थाने में रखे मूल प्रासंगिक रिकॉर्ड को लाया गया था जिसे देखकर लौटा उक्त (. एफ आई आर की प्रतियां श्री एस गवाह ने यह भी बताया कि उक्तदिया गया। उक्त के ,रईंट रेजिडेंट कमिश्नज्वा ,नंदी . 28 त्रिपुरा भवन द्वारा दायर दिनांक ,त्रिपुरा सरकार.02.-कपत्र के अनुलग्न-के शपथ 20148 की के रूप में संलग्न (कॉली) गई है।

22. -पी डब्ल्यू4त्र ,मोहनपुर ,कार्यालय ,एस डी पी ओ ,पुलिस निरीक्षक ,श्री मनोरंजन देव वर्मा ,िपुरा ने साक्ष्य के रूप में दिनांक 1.3.का शपथ 2014 पत्र प्रदर्श-4 प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे राधापुर पुलिस थाने में मामला सं .09/2012 में जांच अधिकारी हैं और साक्ष्य के रूप में दिनांक 17.6. की एफ आई आर की प्रमाणित प्रति 2012 श्री एस28 त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा भवन द्वारा दायर दिनांक ,रइंट रेजीडेंट कमीश्नज्वा ,नंदी .के ..2.के शपथ 2014-पत्र के अनुलग्नक 8(कॉली-प्रर्दश ए (8.4-डब्ल्यू/4 के रूप में संलग्न की गई है जो की राशि को .लाख रु 25राष्ट्र के विरूद्ध सांप्रदायिक दंगों और विधिविरूद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के इरादे से अवैध शस्त्र और गोलाबारूद की खरीद हेतु एन एल एफ टी के संगठन के भूमिगत काडर को सौंपने के लिए ले जाने (बी एम)हेतु एन एल एफ टी उग्रवादियों अर्थात् धानू कलाई तथा दो अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई थी। उन्होंने पुलिस थाना पश्चिमी अगरतला में दिनांक 06.04.की एफ 2013 .आई आर सं90/2013 की प्रमाणित प्रति भी प्रदर्श ए-8.5-डब्ल्यू/4 के रूप में प्रस्तुत की है जो एन एल एफ टी संगठन के लिए जबरन धन वसूली में संलिप्तता के लिए एन एल एफ टी (बी एम)के उग्रवादियों मनोज देब बर्मा झारा और प्नस्व , इंट रेजीडेंट ज्वा ,के नंदी. एफ आई आर श्री एसने यह भी बताया कि उक्तबिलास झारा के विरूद्ध दर्ज की गई थी। उन्हों

28 त्रिपुरा भवन द्वारा दायर दिनांक ,त्रिपुरा सरकार ,रकमीश्न.2. के 2014 शपथ-पत्र के अनुलग्नक-8)कॉलीके रूप में (की गई है।संलग्न

23. -पी डब्ल्यू5 कंचनपुर थानानिरीक्षक श्री सहदेव भौमिक -अगरतला के तहत लालजूरी चौकी के पुलिस उप ,त्रिपुरा , -पी-पत्र प्रदर्श- के रूप में अपना शपथने साक्ष्य5 प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे कंचनपुर पुलिस थाना मामला सं . 14/2013 में जांच अधिकारी थे जो कि परिमल देब बर्माअसित देब तथा रतन जॉय रियांग द्वारा गैर ,पॉल हरैंग खॉल , कानूनी उग्रवादीगुट एन एल एफ टी के लिए अवैध चंदा उगाहने से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि इन दोषी व्यक्तियों में से दो व्यक्ति इस समूह के लिए काडरों की भर्ती में भी संलिप्त थे। ये समस्त गतिविधियां एन एल एफ टी के मुखिया परिमल देबबर्मा की देख- मामले में प्राथमिकी की प्रतिलिपि प्रदर्श एरेख में चलाई जा रही थीं। उक्त-8.6-डब्ल्यू/5 के रूप में है। उन्होंने मनोजित रियांगपुष् ,पाराम रियांगलाख रुपये धनराशि के 01 मोहन रियांग तथा परिमल देबबर्मा के विरुद्धकृष्णा , -ए – चंदा उगाहने की एक और घटना का हवाला दिया और प्रदर्श8.7-डब्ल्यू/5 .प्राथमिकी सं ,78/2012 दिनांक 30.10.2012, पुलिस थाना कंचनपुर प्रस्तुत किया। प्रदर्श ए-8.7-ए/5पुलि ,स थाना आनन्द बाजार की दिनांक 02.04. बाजार पुलिस थाना के द्वारा आनन्दकी एक और प्राथमिकी है जो एन एल एफ टी उग्रवादियों के सदस्यों 2013 अंतर्गत खंत◌ालांग और अमर सीमा चौकी के बीच स्थित आई बी बी एस रोड से तीन व्यक्तियों दास .पंज चस्व :नामत , 1695 यू 01 टी आर .ट्रक सं) का चालक(, नीतेश घोष -टी 01 टी आर .ट्रक सं)1883 का चालकतथा श्री गीत (◌ा रियान -के ओ 01 टी आर .ट्रक सं)1706 का चालक02 के दिनांक (.04. को अपहरण किए जाने की घटना से संबंधित है। 2013

24. -पी डब्ल्यू6श्री परे ,न्द्र रियांगपुलिस अधी ,पुलिस निरीक्षक ,क्षक जो अब ,साअम्बा ,धलाई ,का कार्यालय (सी एस) 1 के रूप में दिनांकने साक्ष्य ,क्राइम रीडर के पद पर कार्यरत हैं.3.-पत्र प्रदर्श ए-का शपथ 20148.9-डब्ल्यू/6 प्रस्तुत किया। उन्होंने दिनांक 02.04. .की एफ आई आर सं 201301/2013 प्रस्तुत की जो कि प्रदर्श ए-89./डब्ल्यू-6 है। उन्होंने बयान दिया कि उक्त घटना दो व्यक्तियों नामत त्रिपुरा एवं श्रीमती बश्री देवेन्द्र :◌ैक्यारूंग त्रिपुरा को एन ग्राम समिति सदस्यों , 2 एल एफ टी के उग्रवादियों द्वारा दिनांक.4.को गंगानगर पुलिस थाना के तहत मायदा कुमार पा 2013डा से अपहरण किए जाने से संबंधित है। प्रदर्श ए-8.10.10-डब्ल्यू/6पुलिस थाना गंड ,◌ाचेरा की दिनांक 07.05.की एक और प्राथमिकी 2012 .सं14/2012 है जो तीन व्यक्तियों नामतगंड-पुलिस थाना ,भागीरथ पारा :◌ाचेरा के प्रधानजॉय त्रिपुराराबिनजॉय त्रिपुरा , तथा मोहनसेन त्रिपुरा क◌े अपहरण के एक और मामले से संबंधित है। इस मामले में उग्रवादी अपहृत व्यक्तियों को लेकर बांग्लादेश की ओर चले गए थे और उन्हें मुक्त करने के बदले फिरौती की मांग की थी।

25 उन्होंने अपने शपथपत्र में यह भी कहा कि धलाई जिले के गं-डाचेरा पुलिस थाने के अंतर्गत धानुराम पारा तथा सीताराम पारा में एन एल एफ टी समूह के सदस्यों द्वारा फिरौती उगाहने के संबंध में एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री रणधीर देबबर्माएस डी पी ओ गंड ,◌ाचेरा ने सुरक्षा बल की एक टुकड़ी के साथ दिनांक 16.12.को उस समय 2012 एक विशेष अभियान चलाया था जब सशस्त्र एन एल एफ टी उग्रवादियों के एक समूह ने पुलिस दल पर गोली बरसानी शुरू कर दी16 के रूप में दिनांकने साक्ष्यइस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। उन्हों ,हालांकि ,.12.की पुलिस थाना 2012 गंड◌ाचेरा की प्राथमिकी सं .35/2012 प्रस्तुत की जिसे प्रदर्श ए-8.11-डब्ल्यू/6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

26. -पी डब्ल्यू7 के रूप में त्रिपुरा ने साक्ष्य ,धलाई ,कमालपुर पुलिस थाना ,पुलिस उप निरीक्षक ,श्री परितोष दास , 01 दिनांक.03.पत्र-का शपथ 2014 प्रदर्श पी-7 प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे दिनांक 19.01.के चावमानू 2012 .पुलिस थाना के मामला सं01/2012 के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने दिनांक 19.01. .की एफ आई आर सं 201201/2012 को अभिलेख पर प्रदर्श ए-8.12-डब्ल्यू/7 के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि असम राइफल्स की ई/45 बटालियन के श्री मोंटू एम में असम राइफमारक के नेतृत्व .ल्स कार्मिकों के एक सैन्य दल ने दिनांक 19.01.को 2012 उग्रवादी समूह के तीन सक्रिय सदस्यों (बी एम) बारी क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया था और एन एल एफ टीगोबिन्दा कुमार जमपुष्प :नामत◌ातियासरनज ,◌ॉय रियांग तथा रोहनजॉय त्रिपुरा को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से बांग्लादेश की मुद्रा तथा 5. कुमार जमारिया के कब्जेइंसास राइफल का गोलाबारूद बरामद किया था एवं पुष्प .मी.मि 65 . से08 राउन्ड्स आदि भी बरामद किए थे। उन्होंने साक्ष्य के रूप में पुलिस थाना माणिकपुर की दिनांक 13.10.की 2011 .प्राथमिकी सं03/2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसे प्रदर्श ए-8.13-डब्ल्यू/7 के रूप में दर्शाया गया हैएन ,जो , 1614 रुपए और 29995 उमेश कलाई तथा अजीत जमाटिया की-एल एफ टी उग्रवादियों, ब 74◌ा◌ंग्लादेश टका के रूप में नगदी सहित गिरफ्तारी से संबंधित है और उनके कब्जे से एन एल एफ टी आदि की चंदा उगाहने के नोटिस भी बरामद किए गए थे।

27. -पी डब्ल्यू8 ,गारजी सीमा चौकी गोमती जिला ,कार्यालय प्रभारी ,पुलिस उप निरीक्षक ,श्री संजीत देबबर्मा , के रूप में अपनत्रिपुरा ने साक्ष्य◌ा दिनांक 1.3.-जिसे प्रदर्श पी ,पत्र प्रस्तुत किया-का शपथ 20148 के रूप में चिन्हित किया गया। वे कारबुक पुलिस थाना में मामला सं .11/2012 में जांच अधिकारी हैं और साक्ष्य के रूप में उन्होंने पुलिस थाना

कारबुक की दिनांक 18.12.की प्राथमिकी प्रस्तुत की जिस 2012े प्रदर्श ए-8.14-डब्ल्यू/8 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त प्राथमिकी दिनांक 17.12.धुनिक हथियारों से लैस एन एल एफ टी के जब अत्या ,की घटना से संबंधित है 2012 पांच अज्ञात उग्रवादियों ने गोमती जिले के कारबुक पुलिस थाने के अंतर्गत मोहन पारा से चार व्यक्तियों नामतपारा कुमार : मतिदास त्रिपुरा तथा छबिराय जमाटिया का अपहरण कर लिया था। ,राम त्रिपुरानन्द ,त्रिपुरा

28. त किया। इनमें से एक गवाह पारा ने भी चार पब्लिक गवाहों को प्रस्तु त्रिपुरा राज्य गवाहों के अतिरिक्तउपर्युक्त पी डब् ,कुमार त्रिपुराल्यू-9 है। उसने साक्ष्य के रूप में अपना 1.3.का शपथ 2014-पत्र-प्रदर्श पी ,9 प्रस्तुत किया। उसने बयान दिया कि वह एक कामगार के रूप में कार्य कर रहा था और वह .के कारबुक पुलिस थाना मामला सं 201211 के पीड़ितों में से एक है। उसने आगे बयान दिया कि दिनांक 17.12.क्ति पारा में एक व्यबजे सायं महान्ता 8 को लगभग 2012 श्री चाकबीराय जमाटिया और मतिदास त्रिपुरा के साथ घर के ,र में भाग लेने के लिए वह नंदराम त्रिपुराके अंतिम संस्का नजदीक इकट्ठा हुए थे तभी पांच अज्ञात सशस्त्र उग्रवादियों ने उन्हें बन्दूक की नोक पर जबरन अगवा कर लिया। उग्रवादियों ने उन्हें अवधि के दौरान उन उग्रवादियों नेदिन तक बंधक बनाकर रखा और उक्त 45बांग्लादेश में विभिन्न जगहों पर अपने ठिकाने बदले। ये उग्रवादी काकबोराक भाषा में बात करते थे और राथा कलाई तथा टकबक का नाम पुकारते थेजो उन , पांच उग्रवादियों में से दो थे।

29. -पी डब्ल्यू10 .रूंग त्रिपुरा गंगानगर पुलिस थाने के मामला संसुश्री बैक्या ,01/2013 की दूसरी पीड़िता है। उन्होंने अपने शपथ- पीपत्र एक्स-10 में साक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा है कि दिनांक 01.04.बजे जब 1900 को रात्रि लगभग 2014 वह अपने घर में भोजन कर रही थीं ,5-6 चरमपंथियों ने उनका तथा इस घटना ,क्तियों का अपहरण कर लियाऔर व्य 10 2 उनके परिवारजनों द्वारा गंगानगर पुलिस थाने में दिनांक ,के संबंध में.4. .को एफ आई आर सं 20131/2013 दर्ज की गई। लगभग उन लोगों को ,दिनों के बाद 50बांग्लादेश सीमा के नजदीक छोड़ दिया गया।

30. -पी डब्ल्यू11 प्रधानजॉय त्रिपुरा-पुलिस थाना ,निवासी भागीरथ पारा ,वर्ष पुत्र श्री गहन कुमार त्रिपुरा 31 आयु , 1 ने तारीख ,जो वर्तमान में अगरतला में है ,त्रिपुरा ,धलाई :जिला ,गंडाचेरा.3.-के अपने शपथ 2014पत्र एक्स पी-11 में साक्ष्य दिया है। जिसमें बिंदु पर उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान है। उसने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता 'घ' से 'क' 148 की धारा/149/ .के अंतर्गत गंडाचेरा पुलिस थाने का मामला सं 27 क और आयुध अधिनियम की धारा 36414/2012 के पीड़ितों में से एक हैं। दिनांक 07.05. को सब वह अपने ससुर 2012और साले के साथ झूम भूमि पर भोजन कर रहा था। एन एल एफ टी के चरमपंथियों ने उनका अपहरण कर लिया और दिनों के बाद 22बांग्लादेश की सीमा पर छोड़ दिया। उसने दिनांक 07.05.पित प्रतिको गंडाचेरा पुलिस थाने में दर्ज एफ आई आर की सत्या 2012 साक्ष्य के रूप में दी है।

31. -पी डब्ल्यू ,अगरतला में पेश किया गया अंतिम गवाह सुबा कांति त्रिपुरा12 थाजिसने शपथ ,-पत्र प्रदर्श पी-12 दिया है। उसने बताया कि दिनांक 19.11.बजे वह किसी प्रभा रंजन त्रिपुरा के घर टी 2100 को तब रात्रि में लगभग 2012 वी देख रहा था तभी एन एल एफ टी गुट के उग्रवादियों ने उसका अपहरण कर लिया और दो सप्ताह के बाद छोड़ दिया। इस संबंध में रैश्याबाड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 458/368/के 27 और आयुध अधिनियम की धारा 34 .अंतर्गत एफ आई आर सं20/2012 दर्ज की गई है।

32. त्रिपुरा सरकार ने श्री एस के नंदी को पी नई दिल्ली ,त्रिपुरा भवन ,त्रिपुरा सरकार ,निक आयुक्त स्थासंयुक्त , -डब्ल्यू13 के रूप में ता .10 मार्च ,2014 को पेश किया। उन्होंने 28.02.-पत्र पी-को शपथ 201413 के रूप में अपना साक्ष्य दिया। शपथ पत्र के साथ एन एल एफ-टी के गठन की प्रतियांएन एल एफ टी द्वारा जारी ,ए टी टी एफ के गठन की प्रतियां , नोटिसों की प्रतियां भी है। उटैक्स/जबरन धन वसूली के परिपत्रोंन्होंने बांग्लादेश में स्थित चरमपंथी शिविरों की अनुमानित नफरी और आग्नेय शक्ति के विषय में भी उल्लेख किया है और अपने शपथपत्र में उग्रवादियों से संबंधित मामलों के आंकड़े - 03 ता से संबंधित मामलों मेंऔर एन एल एफ टी और ए टी टी एफ की संलिप्त.10.02 से 2011.10.की अवधि के 2013 समर्पण करने वाले उग्रवादियों से पूछताछ की रिपोर्टेक्तियों की सूची दी है। आत्मदौरान अपहृत व्यं भी शपथपत्र के साथ - ख है कि इन दोनों संगमों के गिरफ्तार किए गएपत्र में इस आशय का उल्ले-संलग्न हैं। शपथआत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों से पूछताछ में सुरक्षा बलों ने उनके परिचालन संबंधी व्यवस्थाशक्ति ,यास्त्रआग्ने ,वित्त ,सीमा पार उनके संबंध , आदि के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र की है।

33. उन्होंने अपने शपथ कित मुख्यपत्र में एन एल एफ टी और ए ए टी टी एफ की विधिविरुद्ध गतिविधियों की निम्नां- -:ख किया हैविशेषताओं का उल्ले

(क) एन एल एफ टी और ए टी टी एफ द्वारा राज्यजनजाति बहुल सुदूर क :विशेषत ,ेषेत्रों में किसी विकास कार्य में बाधा डालने तथा भय और आतंक का माहौल बनाने की पूरजोर कोशिश।

(ख) शोषण के उद्देश्य से लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करना तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करना ताकि ये गुट राष्ट्रविरोधी और विधिविरूद्ध गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सके।

(ग) सड़क निर्माण , करनान पर इन गुटों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्यासीमा पर बाड़ लगाने आदि के कार्यस्था , पहरण करना और राजव्य/अपहरण्य के समग्र विकल्प को रोकने का प्रयास करना।

34. उन्होंने उग्रवादियों की गतिविधियों से संबंधित घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उनके शपथपत्र में उल्लिखित -की चर्चा पहले ही ऊपर की की ओर से पेश गवाहों द्वारा भी सिद्ध किया गया है। उनकी साक्ष्योंवेजों को त्रिपुरा राज्यदस्ता के आलोकपत्र में चर्चा किए गए तथ्यों-ख किया जाता है कि उनके शपथयह उल्ले :जा चुकी है। पुनर्मेविरुद्ध -विधि , ,अधिनियम (निवारण) क्रियाकलाप1967 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत 1 धारा-की उप 3 ,बरअक्तू 3 सरकार द्वारा जारी दिनांक2013 की अधिसूचना सं .आ .का .2990 जिसके अंतर्गत नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (अ) ए) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एन एल एफ टी) ऑफ त्रिपुराटी टी एफतथा इनके गुटों का विधिविरुद्ध संगमों के रूप (का पर्याप्त आधार है और यह ,में घोषित किया गया है तथा जो भारत के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई है त है।सम्म-योचित तथा विधिन्या

35. भारत सरकार-की ओर से पी डब्ल्यू ,गृह मंत्रालय ,14भारत सरकार को पेश किया ,उप सचिव ,श्रीधरण .श्री जी , 22 ने दिनांकजिन्हों ,गया.2.-पत्र एक्स पी-का शपथ 201414 में साक्ष्य दिया। इस शपथपत्र के साथ एन एल एफ टी और -क गतिविधियों की तथा हिंसात्म और उद्देश्योंए टी टी एफ के लक्ष्योंसंक्षिप्त जानकारी ,(एक्स सी डब्ल्यू 1/4) , 20.06.2009 से 30.06. तक की अवधि के दौरान एन एल एफ टी द्वारा अंजाम दी गई प्रमुख घटनाओं के विवरण 2013 1 सी डब्ल्यूएक्स)/बी(, 20.06.30 से 2009.06.ता तक की अवधि के दौरान एन एल एफ टी उग्रवादियों की संलिप्त 2009 से संबंधित मामलों का सार संलग्न है। सरकारी राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 3.10. 2990 की अधिसूचना संख्या 2013(अ(, जिसके अंतर्गत एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है है।की प्रति संलग्न ,

36. दो संगठनोंउपर्युक्त ,पत्र में-उनके शपथकी पृष्ठभूमिपत्र -ख किया गया है। इस शपथ का उल्ले और उद्देश्योंलक्ष्य , ख है।में की गई हिंसक घटनाओं का भी उल्ले

37. ख किया है। ए टी टी एफ के ने संगत अवधि के दौरान एन एल एफ टी की उग्रवादी गतिविधियों का भी उल्लेउन्हों पत्र-शपथ ,संबंध मेंप्रदर्श पी-14 में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि ए टी टी एफ के नेताओं और काडरों द्वारा संगठन को छोड़कर एन एल एफ टी में चले जाने और इसके उपरांत इसके कमांडर द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के कारण यह निष्क्रिय हो चुका है। ए टी टी एफ का बांग्लादेश में अभी भी एक आधार शिविर मौजूद है और इसमें करीब काडर रह रहे हैं। 15 क्ष ए टी टी एफ की बंगलादेश में गिरफ्तारी से पहलेअध्य ,य कारागार में बंद रंजीत देबबर्मावर्तमान में अगरतला के केन्द्री महानिदेशक पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारतीय विद्रोही समूहों और आई एस आई के साथ ,विदेशी आसूचना ,उसके अच्छे संबंध थे।

38. एन एल एफ टी के संबंध में उन्होंने कहा है कि एन एल एफ टी का मुख्यालय बांग्लादेश में है और संगठन के ठिकाने एवं आश्रय भी उसी देश में है। त्रिपुरा में अधिकतर हिंसक घटनाएं योजनाबद्ध तरीके से की गईं तथा एन एल एफ टी द्वारा बांग्लोदश से निष्पादित की गईं। उन्होंने आगे कहा है कि अप्रैल, 2013 के दौरान एन एल एफ टी के लगभग 20 नए भर्ती हुए कैडरों को पुलिस थाना बोलचारी, जिला रंगमती, बांग्लादेश में स्थित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) कैम्प पेपरूटवीसा में प्रशिक्षण दिया गया था। एन एल एफ टी हथियारों के प्रापण और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए अन्य पूर्वोत्तर घुसपैठी गुटों विशेषकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इस्साक-मुईवाह) एवं नेशनल डेमोक्रोटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) के साथ निकट संबंध बनाए हुए है। यह संगठन पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आई एस आई) के साथ भी संबंध बनाए हुए है। एन एल एफ टी के आत्मसमर्पण करने वाले एवं गिरफ्तार काडरों ने बताया है कि शीर्ष काडरों और संगठन के नेताओं को हथियारों एवं इम्प्रोवाइज्ड इलैक्ट्रोनिक डिवाईस (आई ई डी) को चलाने के लिए कराची में आई एस आई द्वारा 1998 और 2000 में प्रशिक्षण का प्रबंध किया था और उनको बांग्लादेश के रास्ते से वहां भेजा गया था।

39. उपर्युक्त गवाहों ने विगत पांच वर्षों तथा वर्ष 2013 (15 दिसम्बर तक) में एन एल एफ टी के हिंसक चित्रण को भी दर्शाया है जैसा कि शपथ-पत्र में कहा गया है जो कि निम्नानुसार है:-

	2009	2010	2011	2012	2013 (15 दिसम्बर)
घटनाएं	16	27	12	5	3

मारे गए सिविलियन	8	-	1	-	-
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	1	2	-	-	-
अपहरण	16	30	31	13	10

40. उन्होंने कहा है कि उनके हल्फ़नामे प्रदर्श पी 14 में तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक के अन्तर्गत उल्लिखित तथ्यों और कारणों के मद्देनजर यदि केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि जिनके कारण इन संगमों को 'विधिविरुद्ध' घोषित करने संबंधी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक है, तो वह लिखित में कारणों का उल्लेख करने के लिए भी निदेश दे सकती है कि अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी और यह कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों जिनके कारण उक्त संगमों को विधिविरुद्ध घोषित करने वाली ऐसी अधिसूचना को लागू करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को अधिनियम के तहत विधिविरुद्ध संगमों के रूप में घोषित करने का केन्द्र सरकार का निर्णय उचित और सही है तथा तदनुसार दिनांक 3.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2990(अ) की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

41. उक्त गवाहों ने एक सीलबंद लिफाफा भी प्रस्तुत किया जिसमें गोपनीय दस्तावेज थे, जिन्हें एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को उनके विंगों और संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम घोषित करने वाली दिनांक 3.10.2013 की अधिसूचना को जारी करने के लिए आधार के रूप में बताया गया था। सीलबंद लिफाफे को न्यायालय में खोला गया। इसमें रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग), महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशालय, सी आर पी एफ और त्रिपुरा सरकार से प्राप्त टिप्पणियां/विचार हैं। इसका अवलोकन भी कर लिया गया है।

42. मैंने श्रीमान राजीव मेहरा, विद्वान अपर सॉलिस्टर जनरल तथा त्रिपुरा राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तथ्यों को सुना है तथा रिकॉर्ड सामग्री का अध्ययन कर लिया है।

43. केन्द्र सरकार और त्रिपुरा राज्य के लिए उपस्थित हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दिनांक 3 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना जिसमें एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है, की गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अधिकरण द्वारा पुष्टि की गई जिन्होंने यह साबित किया कि उक्त संगम विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए थे और सरकार के पास अधिकरण द्वारा दिनांक 3.10.2013 की अधिसूचना के तहत उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे, जो न्यायसंगत हैं।

44. एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ से किसी अभ्यावेदन के अभाव में, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत समस्त सामग्री जिसमें उनके गवाहों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है, का खण्डन नहीं हो पाया है और इसे यथा प्रमाणित रूप में माना गया है।

45. भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ की लगातार संलिप्तता के विशिष्ट दृष्टांत साक्ष्य में आए हैं। उन्हें ही रिकॉर्ड किए दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया गया है। न्यायाधिकरण ने भी गुप्त दस्तावेजों की जांच की है जो केन्द्र सरकार द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए थे। न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड किए गए दस्तावेजी साक्ष्य तथा भारत संघ और त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया है।

46. त्रिपुरा राज्य के परामर्शदाता तथा भारत संघ की ओर से श्री राजीव मेहरा विद्वान अपर महान्यायवादी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिबंध हटाने से इन गुटों को त्रिपुरा क्षेत्र में पुन: एकत्र होने, पुन: संगठित होने तथा पुन: स्थापित होने का अवसर प्राप्त होगा जो सुरक्षा बलों के अभियानों के लिए हानिकर होगा । दूसरी ओर, सुनियोजित अभियान उनको बातचीत तथा समर्पण के लिए बाध्य करेंगे।

47. गवाहों ने हिंसा की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसके ब्यौरों का पहले ही उल्लेख किया गया है, जो देश के कानून का उल्लंघन करने के सुव्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय निवासियों में ना केवल आंतक फैलाने बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की अखंडता के प्रति गंभीर खतरा पैदा करने संबंधी एन एल एफ टी और ए टी टी एफ की गतिविधियों के पर्याप्त प्रमाण हैं जिससे एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगमों के रूप में घोषित करने से संबंधित दिनांक 03 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना को जारी करना न्यायोचित है।

48. केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अखंडनीय तथा अचुनौतीपूर्ण रहा है। गवाहों के बयान और उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करने का ऐसा कोई कारण नहीं है जो मौखिक साक्ष्यों तथा साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्रों के समर्थन में दायर किए गए हैं।

49. रिकॉर्ड में रखी गई उपर्युक्त सामग्री तथा राज्य और भारत संघ के विद्वान परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना जारी करने के संबंध में बनाया गया विचार अकाट्य तथा संगत सामग्री पर आधारित है जो एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोजन को सिद्ध करता है। अधिसूचना में उल्लेख किए गए आधारों का उक्त सामग्री तथा रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों द्वारा समर्थन किया गया है।

50. पूर्ववर्ती कारणों के लिए मैं संतुष्ट हूं कि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को उनके गुटों, विंगों तथा अग्रणी संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है। तदनुसार, यह न्यायाधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी दिनांक 3.10.2013 की अधिसूचना सं. 2990 (अ) के अंतर्गत की गई घोषणा की पुष्टि करता है।

(न्यायमूर्ति वीणा बीरबल)

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

दिनांक 27 मार्च, 2014 [फा.एन ई-2013/43/11011 .सं .V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2014

S.O. 1107(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order, dated 27. 3.2014, of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Ms. Veena Birbal, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful is published for general information:

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL PRESIDED OVER

BY

HON'BLE Ms. JUSTICE VEENA BIRBAL

REPORT OF THE TRIBUNAL CONSTITUTED BY THE GOVERNMENT OF INDIA VIDE ITS NOTIFICATION NO. SO 3274(E) DATED 29.10.2013

In Re: **National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All**

Tripura Tiger Force Association (ATTF)

1.The Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the unlawful Activities (Prevention) Act 1967 (37 of 1967) vide notification No.2990 (E) dated 3.10.2013 declared the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as `the NLFT') and All Tripura Tiger Force Association (hereinafter referred to as `the ATTF') along with all their fractions, wings and front organizations as unlawful associations. The Notification dated 3.10.2013 published in the Official Gazette issued by the Government of India in the Ministry of Home Affairs, reads as under :-

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2013

S.O. 2990(E).—Whereas, the National Liberation Front of Tripura and the various wings thereof (hereinafter referred to as the NLFT) and All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) have as their professed aim, to establish an independent nation by secession of Tripura from India through armed

struggle in alliance with other armed secessionist organizations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for such secession;

2. And whereas, the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) has as its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh) resulting in bringing about the secession of the said States from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from India and thereby secession of these States from India,

3. And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have been -

(i) engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives;
(ii) maintaining close nexus with other unlawful associations of North East with the aim for mobilizing their support,
(iii) in pursuance of their aims and objectives in recent past, engaging in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

4. And whereas the Central Government is also of the opinion that their violent and unlawful activities include.-

(a) Killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;
(b) Extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;
(c) Establishing and maintaining camps in neighboring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc;
(d) Causing and fomenting communal clashes between the Tribal and non-tribal communities in Tripura;

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the NLFT and the ATTF they will take the opportunity to

(i) Mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive and violent activities;
(ii) Propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
(iii) Indulge in killings of civilians and targeting of the police and security forces personnel;
(iv) Procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border;
(v) Extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) along with all its factions, wings and front organizations and the All Tripura Tiger Force (ATTF) along with all its factions, wings, and front organizations as unlawful associations;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of further opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF along with all their factions, wings and front organizations as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 11011/43/2013-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy."

2. In exercise of powers conferred under Section 5(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government constituted Unlawful Activities (Prevention) Tribunal appointing the undersigned as the Presiding Officer of the Tribunal vide Notification S.O.3274(E) dated 29.10.2013 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring NLFT and ATTF as unlawful association.

3. On receipt of reference from the Ministry of Home Affairs, Government of India vide letter dated 4.11.2013, a preliminary hearing was held on 20th November, 2013 and on the said date, Notices were directed to be issued to

the NLFT and ATTF to show cause within 30 days from the date of service of such notice as to why they be not declared unlawful. Notices were directed to be served on the aforesaid associations at the addresses, as may be available, as also by publication in local newspapers, published in the locality where the associations have their establishments or their presence is known in the State of Tripura and outside as well as in electronic media (Radio, Doordarshan and official website of the State of Tripura) and also by affixing a copy thereof at conspicuous parts of the office, if any, of the said associations and by serving a copy of such notice where possible on the principal office bearers, if any, of the associations at their addresses by registered post or otherwise. At the request of Mr.Rituraj Biswas, Advocate for the State of Tripura, notices were directed to be published in "Daily Desher katha" and "Dainik Sambad", two local newspapers. It was further directed that proclamation be made by beat of drums as well as by loudspeakers in the areas where the activities of both the aforesaid associations are believed to be ordinarily carried on, about the contents of the notice and the Gazette notification. It was also ordered that the service of notice shall also be effected by pasting the same on the notice board(s) of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil and the office of the Deputy Commissioner and market places, as feasible.

4. On the next date of hearing i.e., on 6.1.2014, Shri G.Sridharan, Deputy Secretary(NE-II), Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi has filed an affidavit to the effect that in compliance of the order of Tribunal dated 20.11.2013, the Central Government has requested the Government of Tripura to serve the notice as ordered by the Tribunal, on NLFT and ATTF by all modes as per aforesaid order. The affidavit also gives the steps taken by the Government of Tripura in effecting the service.

5. On 6.1.2014, Mr.R.K.Vaish, Chief Resident Commissioner of the State of Tripura also filed an affidavit wherein it is stated that in compliance with the order of the Tribunal, the State of Tripura has affected the service of notice on the two organizations i.e., NLFT and ATTF. The details of steps being taken by the Government of Tripura have been stated therein. It is stated that the notices issued by the Tribunal have been given wide publicity as directed by the Tribunal. A copy of the press release in Bengali and copies of the newspaper clippings i.e. "Daily Desher Katha" dated 01.01.2013 and "Dainik Sanbad" dated 02.12.2013 were also enclosed with the affidavit. It is stated in the affidavit that these notices were also published in two more newspapers, i.e. Ajkaal dated 1.12.2013 and Syandan Patrika dated 1.12.2013 in addition to the Dainik Sanbad and Daily Desher Katha. True copies of the service report sent by the administration of various Districts were also enclosed with the affidavit. It is further stated that the notices could not be directly served upon the office bearers of the organizations or at their respective offices, since location of such offices or office bearers is stated to be not known.

6. The affidavits of service placed on record show that the notices issued to the NLFT and ATTF were duly served in the manner as ordered. Despite service, there was no appearance on behalf of NLFT and ATTF. Accordingly, order was passed directing the Central and State Governments to file their affidavits by way of evidence along with documents.

7. On February 3, 2014 the following issue was framed:

> "Whether or not there is sufficient cause for declaring the National Liberation Front (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations."

8. In support of their stand for declaring the NLFT and ATTF as unlawful associations, the Central Government filed an affidavit dated 22.2.2014 and the State of Tripura also filed an affidavit dated 28.2.2014. The matter was thereafter listed for recording of evidence on 3rd and 4th March, 2014 at Agartala, State of Tripura.

9. In the affidavits filed by the Central Government and the State of Tripura, both have highlighted the background in which the Notification was issued declaring the NLFT and the ATTF as Unlawful Associations under the Act.

> 10. In the affidavit dated 22.2.2014, Mr.G.Sridharan, Deputy Secretary Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, has stated that NLFT and ATTF were initially declared as 'Unlawful Associations' under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from 3rd April 1997 and since then the period of declaration of NLFT and ATTF as unlawful associations under this Act has been extended from time to time. At present, these two organizations and all their factions/wings are declared as 'Unlawful Associations' upto 2nd October, 2018 vide notification No. 2990(E), dated 3.10.2013. It is further stated the NLFT was formed in June 1989. Thereafter in February 2001, Nayanbasi Jamatia, formed a new group by the name of NLFT (N). A Memorandum of Settlement was signed with NLFT (N) on 17.12.2004, after which cadres of NLFT (N) joined the mainstream. However, majority of the remaining cadres of NLFT under the leadership of Biswamohan Debbarma continued to interalia indulge in acts of violence. This faction of NLFT is mainly known as NLFT (B). Subsequently in 1993 ATTF was also formed which is led by Mr.Ranjit Debbarma. The aims, objectives and activities of NLFT and ATTF are stated in the affidavit. The affidavit also gives the details of incidents of violence committed by the aforesaid organizations.

11.Mr.S.K.Nandi, Joint Commissioner, Government of Tripura, has also filed an affidavit for and on behalf of the State Government of Tripura along with copies of the Constitution of the NLFT and the ATTF, extortion/tax notices, list of extremist camps situated in Bangladesh, their strength and fire power, chart showing statistics of extremist

related cases during the period of last two years, copies of FIRs lodged in various Police Stations in connection with the crimes committed by these organizations and true copies of interrogation reports of arrested/surrendered militants.

12.The aforesaid affidavits shall be discussed in detail while discussing the evidence of Shri S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner of the State of Tripura and Mr.G.Sridharan, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs.

13.A sitting of the Tribunal was held in Agartala on 3rd March, 2014 and 4th March, 2014 wherein State of Tripura produced 12 witnesses to support the declaration. The witnesses produced are as under:-

1. Mr.Arup Deb, Under Secretary, Home Department, Government of Tripura, Agartala, PW-1,
2. Sh.Uttam Kumar Majumdar, Superintendent of Police, Special Branch, Tripura, PW-2
3. Sh.Nityananda Sarkar, Inspector of Police, PS Lefunga, Tripura, PW-3
4. Sh.Manoranjan Debbarma, Inspector of Police, PS Mohanpur, Tripura, PW-4
5. Sh. Sahadeb Bhowmik, Sub Inspector of Police, Laljuri Out Post under Kanchanpur Police Station, Tripura, PW-5
6. Sh.Parendra Reang, Inspector of Police, (CS), Dhalai, Ambassa, Tripura as Crime Reader, PW-6
7. Sh. Paritosh Das, S.I. PS Kamalpur, Dhalai, Tripura, PW-7
8. Sh.Sanjit Debbarma, S.I. Officer-in-charge Garjee Out Post, Gomati District, Tripura, PW-8,
9. Sh.Para Kumar Tripura s/o Shri Sabidhan Tripura R/o Mahanta Para, P.S.Karbook, District:Gomati, Tripura, PW-9
10. Smt.Baikyarung Tripura d/o Shri Brindya Tripura r/o Maldapara, P.S.Gandacherra, District Dhalai, Tripura, PW-10,
11. Sh. Pradhanjoy Tripura, aged 31 years, S/o Shri Gahan Kumar

    Tripura, R/o Bhagirath Para, P.S. Gandacherra, District: Dhalai,

    Tripura, PW-11,

12. Sh. Shubha Kanti Tripura, aged 42 years, S/o Sh.Ananda Tripura

    R/o Purba Singh Para, P.S. Rashyabatri, District Dhalai, Tripura,

    PW-12.

14.The evidence of Mr.S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhawan, New Delhi, PW-13 and Mr.G. Sridharan, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, PW 14 was also recorded during the course of sitting of the Tribunal.

15.PW-1, Sh.Arup Deb, Under Secretary, Home Department, Government of Tripura, tendered his affidavit dated 1st March, 2014 which was exhibited as P-1. To prove the service of notice, he produced (i) letters confirming service of notice sent by the administration to the various districts, Ex.P-1(colly)/W-1,. (ii) copies of press clippings and notices published in five local newspapers, i.e. “Daily Desher Katha”, “Dainik”, “Sanbad”, “Aajkal Patrika”, and “Syanden Patrika” Exhibit P-2(Colly)/W-1, a copy of letter dated 11.12.2013 confirming the publication and broadcast of notices in newspapers and media, Ex.P-3/W1, copy of letter dated 12.12.2013 is Ex.P4/W-1, a copy of notification dated 6.12.2013, Ex.P6/W-1 declaring entire area of 25 police stations and parts of 7 police stations as disturbed area in the State giving more power to the security force to check their activities in the State.

16.In his affidavit Ex.P1 filed by way of evidence he has deposed that NLFT and ATTF and their factions/wings are active within the State of Tripura. Their aims and objects are secessionist and they indulge in violent activities in the State. The activities of these organizations include attack on police and paramilitary forces, looting of arms and ammunitions, violence against civilians, abduction and extortion. They procure arms and ammunitions by illegal means and use them to disturb peace and tranquility and subvert the Constitution of India and the laws formed thereunder. He has further stated that the the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 were first invoked by the Government of India for the first time in 1997. Since these two organizations have continued in their secessionist and violent activities, the ban has continued. He has further stated in the affidavit that the constitutions of the NLFT and ATTF speak of secession from the Indian Union and their objectives.

17. PW-2 Sh.Uttam Kumar Majumdar, Superintendent of Police, Special Branch, Tripura testified the contents of the affidavit dated 01.3.2014 filed by way of evidence, Exhibit P-2. He also placed on record (i) Exhibit A-1/W-2, the constitution of National Liberation Front of Tripura (NLFT, (ii) the constitution of All Tripura Tiger Force (ATTF), Exhibit A-2/W-2; (iii) Ex.A-3/W-2 is the copy of one of the Circulars out of forty seven Tax Circulars issued by NLFT, Ex.A-4/W-2 (colly) is the list of estimated strength and fire power of extremist camps situated in Bangladesh, Ex.A-5 (colly)/W-2 (colly) a chart showing statistics of extremist related cases and list of kidnapped and abducted persons during the period 03.10.2011 to 2.10.2013 in cases involving NLFT and ATTF.

18.He has also produced on record the interrogation report of surrendered ATTF militant i.e. Chitta Debbarma @ Bikash Kaloi i.e., Ex.A-7 (colly)/W-2 and the interrogation reports of other militants collectively exhibited as Ex.A-7 (colly)/ W-2). He has further proved the index of the Intelligence Report generated by the office of the Superintendent of Police, Special Branch as Ex.9 (colly)/W-2, at pages 274 to 286 of the affidavit dated 28.2.2014 of Shri S.K.Nandi.

19. He has also stated in his affidavit Ex.P-2 that on the basis of the interrogation of surrendered operatives of these two banned organizations, the security forces have gathered vital information regarding their operational setup, cross-border connections, finances, fire power etc. and it has been emerged that members of these organizations alongwith their factions are involved therein and responsible for subversive activities with the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by liberating Tripura from the Indian Union which threatens the sovereignty of the country, disturbs public order and development of the State and Creates terror among the people. He has further deposed that NLFT and ATTF have procured lethal weapons such as land mines, rocket launchers, RPGs etc. During the last Republic Day and Independence Day, both these organizations gave a call for boycotting the celebrations and raised black flags in order to prohibit the public from attending these functions.

20.PW-3, Mr.Nityananda Sarkar, Inspector of Police, Officer-in-charge, PS Lefunga, Tripura, also tendered his affidavit dated 1st March, 2014 by way of evidence which was exhibited as Exhibit P-3. He deposed that he is the Investigating Officer in Raishyabari Police Station, Case No.14/2012 under Section 457/385/506/34 IPC and 27 of Arms Act, 4 of Damage to Public Property Act, 1960 & 17/20 of ULA (P) Act.

21.He has stated in the affidavit Ex.P-3 that on 21.09.2012 six unknown armed militants of NLFT group came to Deshavai Para under Rashyabari P.S. gave 24 numbers of extortion notices to panchayat member Shri Krishna Mohan Tripura with direction to distribute the same among the villagers of Rahima and Boalkhali villages. They also asked the panchayat member to ensure payment of subscription in time to avoid action by the extremist group. The certified copy of the said FIR bearing Nos.14/2012 dated 22.9.2012 is Exhibit A-8.1/W3. In another incident on 19.11.2012 a gang of NLFT extremist armed with weapons kidnapped three persons namely Shri Karandra Tripura, Chitta Ranjan Tripura and Subha Kr. Tripura from Purbasing Para, Raishyabari District Dholai, Exhibit A-8.2/W-3 is the FIR No.20/2012 dated 20.11.2012 under Section 458/364/34 IPC and 27 of the Arms Act and 17/20 of ULA (P) Act registered at Police Station Raishyabari. In yet another incident on 22.7.2012 Subedar Bankim Debbarma of E/12 TSR and 21 TSR personnel had been to Majhimani Para cultivation area and at 12.30 they came under heavy firing of a group of NLFT extremists with sophisticated arms. In the said incident one militant Bahijoy Tripura was killed by the security forces. He produced FIR No.6/2012 dated 22.7.2012 under Section 148/149/120B/353/307/384 IPC and 25 (I-b) (a)/27 of the Arms Act and 5 of E.S. Act and 10/13 of ULA (P) Act registered at Police Station Raishyabari. (Exhibit A 8.3/W-3) concerning the said case. The original relevant record kept in the police station had been brought, which was seen and returned. The said witness also deposed that the copies of the aforesaid FIRs have been annexed as Annexure-8 (Colly) to the affidavit dated 28.2.2014 filed by Mr.S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhavan.

22.PW-4 Shri Manoranjan Debbarma, Inspector of Police, SDPO Office Mohanpur, Tripura, tendered in evidence affidavit Ex.P-4 dated 1.3.2014. He deposed that he is the Investigating Officer in Radhapur Police Station Case No.09/2012 and tender in evidence the certified copy of the FIR dated 17.06.2012 which has been annexed as Annexure-8 (Colly) to the affidavit dated 28.2.2014 filed by Mr.S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhavan as Exhibit A-8.4/W-4 which was registered against NLFT militants namely Dhanu Kalai and two others for carrying an amount of Rs.25,00000/- to hand it over to underground cadre of the NLFT (BM) outfit to purchase illegal arms and ammunitions with intention to cause communal riots and unlawful activities against the Nation. He also tendered certified copy of the FIR no.90/2013 dated 06.04.2013 Police Station West Agartala as Exhibit A-8.5/W-4, which had been registered against NLFT (BM) militants Manoj Debbarma, Swapan Jhara and Bilash Jhara for their involvement in collection of extortion money for the NLFT outfit. He further deposed that the aforesaid FIRs have been annexed as Annexure-8 (Colly) to the affidavit dated 28.2.2014 filed by Mr.S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhavan.

23.PW-5, Shri Sahadeb Bhowmik, Sub-Inspector of Police, Laljuri Out Post under Kanchanpur Police Station, Tripura, Agartala tendered in evidence his affidavit Ex. P-5. He has stated that he was the Investigating Officer in Kanchanpur Police Station Case No.14/2013 which relates to collection of illegal subscription for outlawed NLFT militant outfit by Parmial Debabarma, Paul Hrangkhawl, Asit Deb, and Ratanjoy Reang. He has further stated that two of the accused persons were also involved in recruitment of cadre for the outfit. All these activities were being carried out under the guidance of NLFT leader Parimal Debbarma. Copy of the FIR in the said case is Ex. A-8.6/W-5, He referred to another incident for collection of subscription against Manojit Reang, Pushparam Reang, Krishanmohan Reang and Parimal Debbarma to the tune of Rs.1 lac and

produced Ex. A-8.7/W-5, FIR no.78/2012 dated 30.10.2012 Police Station Kanchanpur. Exhibit A-8.7/A-5 is another FIR no.05/2013 dated 02.04.2013 Police Station Anandabazar which relates to an incident of abduction on 02.04.2013 of three persons namely Shri Swapanj Ch. Das, (Driver of truck No. TR01U1695), Nitesh Ghosh (Driver of truck No. TR01T-1883 and Sri Gita Rean (Driver of truck number TR01K0-1706) from IBBS Road in between Khantalang and Amar BOP under Anandbazar PS by the members of NLFT militants.

24.PW-6, Shri Parendra Reang, Inspector of Police, Office of Superintendent of Police(CS), Dhalai, Ambassa now working as Crime Reader tendered in evidence affidavit Ex.P-6 dated 1.3.2014. He produced FIR No.01/2013 dated 02.04.2013 which is Exhibit.A-8.9/W-6. He has deposed that same relates to abduction of two persons namely Sh. Debendra Tripura and Smt. Baikyarung Tripura, Village Committee members on 2.4.2013 from Maida Kumar Para under Ganganangar PS, by the militants of NLFT. Exhibit A-8.10/W-6 is another FIR no.14/2012 dated 07.05.2012 Police Station Gandacherra which relates to another case of abductions of three person namely Pradhanjoy Tripura, Rabinjoy Tripura and Mohansen Tripura of Bhagirath Para, PS Gandacherra. The extremists in this case proceeded towards Bangladesh with the abducted persons and demanded ransom for their release. .

25.He also stated in his affidavit that acting on a secret information regarding collections of ransom by NLFT group members at Dhanuram Para and Satiram Para under Gandacherra PS of Dhalai District one Sh.Ranadhir Debbarma, SDPO Gandachera alongwith a contingent of security force had conducted special operations on 16.12.2012 when a group of armed NLFT extremists started firing upon the policy party However, no casualty occurred in the said incident. He tendered in evidence the FIR no.35/2012 dated 16.12.2012 Police Station Gandacherra which was exhibited as Exhibit.A-8.11/W-6.

26.PW-7, Shri Paritosh Das, Sub Inspector of Police, Kamalpur Police Station, Dhalai, Tripura tendered in evidence his affidavit Ex.P-7 dated 1.3.2014. He stated that he is the Investigating Officer in Chawmanu Police Station Case No.01/2012 dated 19.01.2012 Police Station Chawmanu. He has proved on record FIR No.01/2012 dated 19.01.2012 as Exhibit A-8.12/W-7. He explained that a contingent of Assam Rifles personnel led by Mr. Monthu M. Marak of E/45 Bn A/R conducted special operations at Gobinda Bari area on 19.01.2012 and arrested three active members of NLFT (BM) group militants, namely, Puspa Kr. Jamatia, Saranjoy Reang and Rawhanjoy Tripura and recovered Bangladesh currency and 5.65 mm INSAS rifle ammunitions from their possession .08 rounds etc from the possession of Puspa Kr.Jamatia. He also tendered in evidence the certified copy of the FIR no.03/2011 dated 13.10.2011 Police Station Manikpur which was exhibited as Exhibit A-8.13/W-7 which relates to arrest of NLFT extremists Umesh Kalai and Ajit Jamatia with cash Rs.29,995 and Bangladesh Taka 1614, 74 subscription notice of NLFT etc. were also recovered from their possession.

27. PW-8, Shri Sanjit Debbarma, Sub Inspector of Police, Officer-in-Charge, Garjee Out Post Gomati District, Tripura, tendered in evidence his affidavit marked as Ex.P-8, dated 1.3.2014. He is the Investigating Officer in Karbook Police Station Case No.11/2012 and tendered in evidence the FIR dated 18.12.2012 Police Station Karbook which has been exhibited as Exhibit.A-8.14/W-8. The aforesaid FIR relates to an incident dated 17.12.2012 when five unknown NLFT militants armed with sophisticated weapons abducted four persons namely Para Kumar Tripura, Nandaram Tripura, Mati Das Tripura, and Chabirai Jamatia from Mohan Para under Karbook PS of Gomati District.

28.Besides the abovesaid witnesses, the State of Tripura also produced four public witnesses. One of such witnesses is Para Kumar Tripura, PW-9. He tendered in evidence his affidavit dated 1.3.2014 Ex.P-9. He deposed that he was working as a labourer and one of the victims of Karbook Police Station Case No. 11 of 2012. He further deposed that on 17.12.2012 around 8 p.m. he alongwith Nandaram Tripura, Sri Chakbirai Jamatia and Matidas Tripura had assembled near the house to participate in a funeral ceremony at Mahanta Para when five unknown armed extremists forcibly kidnapped them on the point of gun. They were held for 45 days as captive by the extremists and during the said period the extremists changed their locations to different places in Bangladesh. The militants used to talk in Kakborak language and called the name Ratha Kalai and Takbak, who were two of the extremists out of five.

29.PW-10, Ms. Baikyarung Tripura is another victim of Ganganangar Police Station Case No. 01/2013. She tendered in evidence her affidavit Ex. P-10. She stated that on 1.4.2014 at night around 1900 hrs while she was taking dinner in his house, 5-6 extremists had abducted her and 10 more persons. In respect of this incident, FIR No.1/2013 dated 2.4.2013 was registered at Police Station Ganganagar by her family members. After about 50 days, they were released near the Bangladesh Border.

30. PW-11, Pradhanjoy Tripura, aged 31 years, S/o Shri Gahan Kumar Tripura, R/o Bhagirath Para, P.S. Gandacherra, District: Dhalai, Tripura, Tripura, presently at Agartala, tendered in evidence his affidavit Ex.P-11 dated 1.3.2014 which bears his Left hand thumb impression at points `A' to `D'. He stated that he is one of the victims of Gandacherra Police Station Case No.14/2012 u/s 148/149/364A IPC and 27 of Arms Act. On

07.05.2012 while he was taking food at jhum land along with his father-in-law and brother-in-law, they were abducted by a group of NLFT extremists and were released after 22 days near Bangladesh Border. He tendered in evidence the certified copyoftheaforesaidFIRdated 7.5.2012 Police Station Gandacherra.

31.The last witness produced at Agartala was one Suba Kanti Tripura, PW-12, who filed his affidavit Ex. P-12. He stated that on 19.11.2012 at night about 2100 hours he was abducted from the house of one Prabha Ranjan Tripura while he was watching TV by a group of militants of NLFT group who released him after two weeks. An FIR No.20/2012 under Section 458/368/34 IPC and Section 27 of Arms Act was registered at Rashyabari Police Station in this regard.

32.On 10th March, 2014 Mr.S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhawan, New Delhi was produced as PW-13 by the State of Tripura. He tendered in evidence his affidavit Ex P-13 dated 28.02.2014. Along with the affidavit there are copies of constitution of NLFT, constitution of the ATTF, copies of circulars of Extortion/Tax notices issued by NLFT. He has also stated about the estimated strength and fire power of extremist camps situated in Bangladesh, statistics of extremist related cases and list of kidnapped persons during the period 03.10.2011 to 2.10.2013 in cases involving NLFT and ATTF are also stated in the affidavit. The interrogation reports of surrendered militants is also annexed with the affidavit. It is stated in the affidavit that from the interrogation of arrested/surrendered operations of these two associations, the security forces have gathered vital information regarding their operational set up, cross border connections, finance, fire, power, etc.

33.He stated in his affidavit the following prominent features of unlawful activities of NLFT and AATTF:-

a) Desperate attempts on the part of NLFT and ATTF to thwart any development works in the state particularly in the interior belts dominated by the tribal people and to create an atmosphere of panic and fear.

b) To generate a sense of insecurity in their minds with a view to exploit them as well as to make their presence felt in order to facilitate the outfits to carry out anti-national and unlawful activities.

c) Killing, kidnapping/ abduction of innocent people from work sites of road constructions, border fencing etc. by the outfits and attempts to stop the overall developments of the State.

34. He has also stated about the incidents relating to activities of militants. The document stated in his affidavit were proved by the witnesses produced at Agartala on behalf of State of Tripura. Their evidence has already been discussed above. It is further stated that in the light of the facts discussed in his affidavit, Notification No S.O. 2990(E) dated 3rd October, 2013 issued by the Government of India in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 declaring National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) and their factions as Unlawful Associations, published in the extra ordinary issue of the Gazette of India, is for sufficient cause and is justified and in accordance with law.

35. On behalf of Government of India, Ministry of Home Affairs, PW-14, Mr.G.Sridharan, Deputy Secretary to the Government of India was produced who tendered in evidence his affidavit Ex.P-14 dated 22.2.2014. Along with the affidavit, brief resume regarding the aims and objectives and violent activities of NLFT and ATTF, (Ex.CW1/4), details of major incidents of violence committed by the NLFT during the period from 20.6.2009 to 30.6.2013 (Ex.CW 1/B), gist of cases of NLFT militants involved during the period from 20.6.2009 to 30.6.2013 are annexed. Copy of the notification No. 2990(E) dated 3.10.2013 published in the official gazette declaring NLFT and ATTF outfits as unlawful associations is also annexed.

36. In his affidavit Ex.P-14, the background of the aforesaid two organizations, the aims and objectives have been stated. The incidents of violence committed have also been stated in the affidavit.

37. He has also stated about extremist activities of NLFT for the relevant period. Regarding ATTF, it is stated in affidavit Ex.P14 that though, ATTF has become defunct due to desertion of its leaders and cadres to NLFT and subsequent surrender of its Commander, the ATTF still has one base camp in Bangladesh, and around 15 cadres of ATTF are staying there. Ranjit Debbarma, President, ATTF, presently imprisoned at Agartala Central Jail, maintained good rapport with Director General of Foreign Intelligence, Indian Insurgent Groups of North East Regions and ISI before his arrest in Bangladesh.

38. Regarding NLFT he has stated that Headquarters of NLFT is in Bangladesh and the organization also has hideouts and shelters in that country. Most of the violent incidents in Tripura have been planned and executed by NLFT from Bangladesh. He has further stated that during April, 2013, about 20 new recruited cadres of NLFT were learnt to have undergone training at Peprutwisa, a National Democratic Front of Boroland (NDFB) camp located at PS Boalchari, District Rangamati, Bangladesh. NLFT maintains close nexus with other North East insurgent groups particularly the National Socialist Council of Nagaland (Issac-Muivah) and National Democratic Front of Boroland (NDFB) for procurement of arms and training facilities. The outfit also maintains links with Inter-Service Intelligence (ISI) of Pakistan. Surrendered and arrested cadres of NLFT have disclosed that training

of top cadres and leaders of the outfit was arranged in 1998 and 2000 by ISI in Karachi for handling of weapons and Improvised Electronic Device (IED) and they were sent there through Bangladesh.

39. The aforesaid witness has also given the violence profile of NLFT in the last five years and in the year 2013 (upto 15th December) as stated in his affidavit which is as under:-

	2009	2010	2011	2012	2013 (15th December)
Incidents	16	27	12	5	3
Civilians Killed	8	-	1	-	-
Security Forces Personnel Killed	1	2	-	-	-
Abduction	16	30	31	13	10

40.He has stated that that in view of the facts and reasons stated in his affidavit Ex.P.14 and under the proviso to sub section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, if the Central Government is of the opinion that circumstances exist which render it necessary to give effect to the notification declaring these associations as 'unlawful' with immediate effect, it may direct for reasons to be stated in writing, that the notification shall have effect from the date of its publication in the Official Gazette and that circumstances exist which warrant and render it necessary to give effect to such notification declaring the said associations as unlawful. He has also stated that the decision of the Central Government of declaring NLFT and ATTF as unlawful associations under the Act is just, proper and bonafide and accordingly has prayed for confirming the notification no.S.O.2990(E) dated 3.10.2013.

41. The aforesaid witness also produced a sealed cover containing confidential documents which was stated to be the basis for the issuance of the Notification dated 3.10.2013 declaring NLFT and ATTF alongwith its wings and factions as unlawful associations. The sealed cover was opened in court. It consists of comments/views received from Ministry of Defence, Intelligence Bureau, Cabinet Secretariat (Research & Analysis Wing), Directorate General, Border Security Force, Directorate General, CRPF and Government of Tripura. The same have also been perused.

42.I have heard the arguments advanced by Mr.Rajive Mehra, Ld.Additional Solicitor General and the ld.counsel for State of Tripura and gone through the material on record.

43.The ld.counsel appearing for Central Government and State of Tripura have argued that the notification dated 3rd October, 2013 by which NLFT and ATTF have been declared as unlawful associations, be confirmed by the Tribunal based on the evidence of witnesses who have proved that the said associations had continued to indulge in various criminal activities and there were sufficient reasons with the Government to declare the aforesaid associations as unlawful vide notification dated 3.10.2013 to the Tribunal for adjudication.

44.In the absence of any representation from NLFT and ATTF, entire material placed by the Central Government as well as State Government including the depositions of their witnesses have gone unrebutted and is taken as having been proved.

45.The specific instances of continued engagement of NLFT and ATTF in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India have come in the evidence. The same are substantiated by documents on record. The Tribunal has also examined the secret documents which had been handed over by the Central Government in sealed cover. The Tribunal has gone through the documentary evidence placed on record and the affidavits and oral evidence adduced by the Union of India and the State of Tripura.

46.It has also been contended by the counsel for the State of Tripura and Mr. Rajive Mehra, ld.Additional Solicitor General on behalf of the Union of India, that lifting of ban would provide an opportunity to these outfits to re-group, re-organise and re-establish in the Tripura region which in turn would be detrimental to the operations of the Security Forces. On the other hand, well calibrated operations would bring them to negotiations and will compel them to surrender.

47.The witnesses have mentioned various incidents of violence, details of which are already noted above, which are sufficient proof of activities of NLFT and ATTF of not only spreading terror among the local inhabitants, through systematic attempts of subverting the law of the land, but also of posing a grave threat to the national security and integrity of India and thereby justifying the issuance of the Notification dated 03rd October, 2011 declaring the NLFT and ATTF as unlawful associations.

48. The evidence led on behalf of Central Government and the State of Tripura has gone unrebutted and unchallenged. There is no reason to disbelieve the statement of witnesses and the documents which have been filed in support of the oral testimonies and the affidavits by way of evidence.

49.After considering the aforesaid material placed on record and the arguments advanced by learned counsel for the State as well as the Union of India, this Tribunal is satisfied that the opinion formed by the Central Government resulting in issuance of the Notification dated 3rd October, 2013 is based on cogent and relevant material justifying exercise of its power under Section 3(1) of the Act by declaring NLFT and ATTF as Unlawful Associations. The decision of Central Government is bonafide and proper. The grounds which are stated in the Notification have been duly supported by the material and documents on record.

50.For the foregoing reasons, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring NLFT and ATTF organizations alongwith their factions, wings and front organisations, as unlawful associations. This Tribunal, accordingly, confirms the declaration made by the Central Government vide notification No. 2990(E) dated 3.10.2013 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

March 27th , 2014 (Justice Veena Birbal)

Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

[F. No. 11011/43/2013-NE-V]

SHAMBHU SINGH Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054